ENCLO
Enclosure No-1

संख्या-4397/15-7-16(59)/99

प्रेषक,

श्री शरद सिंह निरंजन
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग (7) लखनऊ : दिनांक: 29 अक्टूबर, 1999

विषय:- एल0एच0के0 स्टडी सेंटर साईं भवन चोपा, वाराणसी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल0एच0के0 स्टडी सेंटर साईं भवन चोपा, वाराणसी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत नियमावली का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

---(2)

Vibha Singh
प्रबन्धक
लोकहित किरण अध्ययन केन्द्र
साईं, उदयपुर (चोलापुर), वाराणसी
वाराणसी--221101

Principal
L.H.K. Study Centre School
Sai, P.O.- Udaipur (Cholapur)
Varanasi-221101 (U.P.)

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

(1) संस्था का भवन/कक्षा कक्ष निर्धारित मानक के अनुसार हो।

(2) आवेदन पत्र के निर्धारित तिथि के बाद जमा हुआ हो, तो विलम्ब शुल्क की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की भाँति वेतन दिया जायेगा।

(4) संस्था के लिए निजी भूमि/भवन की व्यवस्था की जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की स्थिति स्पष्ट की जायेगी।

भवदीय

(साहब सिंह निरंजन)
विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0-4397(1)/15-7-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
4- निदेशक, अखिल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, एल0एच0के0 स्टडी सेन्टर, साईं भवन चौभा वाराणसी।

आज्ञा से

(साहब सिंह निरंजन)
विशेष कार्याधिकारी।

Vibha Singh
प्रबन्धक
लोकहित कि... अध्ययन केन्द्र
साइं, उदयपुर (चोलापुर), वाराणसी
वाराणसी-221101

Principal
L.H.K. Study Centre School
Sai, P.O.- Udaipur (Cholapur)
Varanasi-221101 (U.P.)